registrar@prsuniv.ac.in

# कार्यालय कुल सचिव
# प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
## प्रयागराज

संख्या : प्रोरासिविवि / कुसका / 2021–699
दिनांक– 07,जनवरी, 2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,
समस्त राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

**विषयः–** कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3111 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 एवं गृह (गोपन) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–15 / 2022–सीएक्स–3 दिनांक 04 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्था भौतिक रूप से दिनांक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन–पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतएव, उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 एवं पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2022 के दिशा–निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध समस्त शिक्षण संस्थान दिनांक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन–पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–3), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
4. अधिष्ठाता वाणिज्य / कला / छात्र कल्याण, संस्थागत।
5. निजी सचिव कुलपति को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को मा0 कुलपति जी के समक्ष सादर सूचनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-3111 /सत्तर-3-2021-08(20)/2020

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊः दिनॉक 28 दिसम्बर, 2021

विषयः-कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत गृह गोपन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2141/2021-सीएक्स-3, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी :-

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलो पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।

(2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों के कुलसचिव/प्रबन्धक एवं प्राचार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( शमीम अहमद खान )
सचिव।

संख्या–3111 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अब्दुल समद )
विशेष सचिव।

## कार्यालय, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या–डिग्री विकास/ 15505 / /2021–22 दिनांक /12/2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1–कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।

डॉ0 (जय सिंह)
सहायक निदेशक (उ0शि0),
कृते–शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

संख्या–2141/2021–सीएक्स–3

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 दिनांकः 24 दिसम्बर, 2021

विषयः–कोरोना संक्रमण के संबंध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 तथा 1698/2021–सीएक्स–3, दिनांक 27.09.2021 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना संक्रमण के संबंध में दिनांक 25.12.2021 की रात्रि से विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

(1) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेंगे।

(2) कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने–जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई०डी० के आधार पर आने–जाने की अनुमति होगी।

(3) बाजारों में **"मास्क नहीं तो सामान नहीं"**, के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें।

(4) शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

(5) निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गाँवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा।

(6) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:–

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 % तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19

प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।

(7) जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये।

(8) जनपदो में जिलाधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(9) समस्त जिलाधिकारी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेन्टर (ICCC) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक–टेस्ट–ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही करायेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेंगे।

(10) स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ–साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(11) कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये एवं पी0ए0 सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28.12.2021 तक गृह कन्ट्रोल रूम की ई–मेल आई0डी0 shome@nic.in पर उपलब्ध करायी जाय।

(12) इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जाय एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(13) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करते हुए रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे।

(14) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्क्रीनिंग की सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे एवं परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(15) निजी बसों के संबंध में परिवहन आयुक्त सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(16) समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
26.12.2021
( राजेन्द्र कुमार तिवारी )
मुख्य सचिव।

संख्या–2141(1)/2021–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य/नगर विकास/ग्राम्य विकास विभाग कृपया अपने स्तर से आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(5) पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उत्तर प्रदेश।

(6) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या–15/2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3

दिनांकः 4 जनवरी, 2022

विषयः–कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 व आदेश संख्या–2141/2021–सीएक्स–3, दिनांक 24.12.2021 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश दिनांक 06.01.2022 से लागू करने के आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. जनपदों में स्थापित पी०ए० सिस्टम के माध्यम से कोविड–19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ–साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार–प्रसार कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सभी पी०ए० सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें व प्रचार–प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये।
2. 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल, कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये।
3. सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाय ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।
4. स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाय, जिससे वहाँ फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़–भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों/मार्केट को भीड़–भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किया जाये। अलग–अलग दुकानों को अलग–अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4:00 बजे से 8:00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाये। यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 4:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहें। निदेशक, मण्डी परिषद संबंधित जनपद के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

**<u>किसी भी जनपद में 1000 से अधिक ऐक्टिव केसेज होने पर</u>**

(1) धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(2) पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(3) स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे।

(4) रेस्टोरेंट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(5) कक्षा–10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.01.2022 से 14.01.2022 तक बन्द रहेंगे।

(6) 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये।

(7) रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा।

(8) IT एवं ITES से संबंधित निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।

(9) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:–

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 % तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

( दुर्गा शंकर मिश्र )
मुख्य सचिव।

संख्या–15(1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( अवनीश कुमार अवस्थी )
अपर मुख्य सचिव